हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.17 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थ विप्रार्थी नं. 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थ विप्रार्थी सं. 01 अनुप प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर, सुनाया गया और शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 16.1.17 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकरी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री नाथूसिह राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन सं.146/2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
सरपंच जरिये ग्राम पंचायत बिलासर पंचायत समिति सिणधरी तहसील सिणधरी व जिला–बाडमेर		1.सहायक अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग सिणधरी,तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2.राजस्थान राज्य द्वारा भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री अमराराम चौधरी अधिवक्ता,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार,विप्रार्थी स.2 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी स.1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक– 16.01.17

1.सक्षेप में आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम बिलासर तहसील सिणधरी मे खसरा सख्या 85 रकबा 23–15 बीधा,खसरा सख्या 88 रकबा 78–05 बीधा व खसरा सख्या 90 रकबा 22–09 बीधा किस्म गै.मु.गोचर भूमि अवस्थित है,उक्त खसरा सख्या 85 से 90 मे से तत्समय मे बाड़मेर से जालोर जाने वाले मुख्य हाईवे हेतु भूमि अवाप्ति की गई,और खसरा संख्या 85 के मूल रकबे मे से 7–03 बीधा व खसरा सख्या 90 के मूल रकबे मे से 3–12 बीधा भूमि सड़क हेतु उपयोग लेना बताकर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड मे विप्रार्थी स.1 के खाते मे दर्ज करते हुए तरमीम की गई। जबकि वास्तव मे सड़क का निर्माण खसरा संख्या 85,88,90 मे हुआ है और उक्त अनुसार ही लटठा नक्शा

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

मे तरमीम कायम की जानी चाहिए थी,लेकिन तत्कालीन राजस्वकर्मी की भूल से वास्तविक तरमीम हो छोड़कर लटठा नक्शा मे गलत तरमीम खसरा सख्या 85 व 90 मे कर दी गई। कि नवसृजित ग्राम पंचायत बिलासर को पंचायत भवन हेतु मूल खसरा संख्या 90 से विभक्त होकर खसरा संख्या 90/1 रकबा 2–10 बीधा भूमि आवंटित की गई,लेकिन राजस्व रिकार्ड मे गलत तरमीम होने के कारण ग्राम पंचायत बिलासर को आवंटित भूमि की तरमीम सड़क के पास कर दी गई,जो गलत तरमीम की गई है,इस कारण विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति मे भिन्नता आ रही है, अतः प्रार्थी नें लटठा नक्शा में विदयमान तरमीम को निरस्त करवातें हुए खसरा संख्या 85,88,90 मे सड़क की भूमि एवं आवंटित ग्राम पंचायत की भूमि मौके पर कब्जा अनुसार लटठा नक्शा में तरमीम दुरूस्त कियें जानें हेतु यह आवेदन पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरियें नोंटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए,जो शामिल मिसल किये गये। विप्रार्थी स.1 बावजूद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई गई,विप्रार्थी स.2 की ओर से नायाब तहसीलदार सिणधरी हाजिर हुए, और उन द्वारा कोई जबाव पेश नही किया गया,विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की जाकर शामिल मिसल की गई।

3. हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता नें आवेदन के तथ्यो को दोहरातें हुयें कथन किया कि ग्राम बिलासर तहसील सिणधरी मे खसरा सख्या 85 रकबा 23–15 बीधा,खसरा सख्या 88 रकबा 78–05 बीधा व खसरा संख्या 90 रकबा 22–09 बीधा किस्म गै.मु.गोचर भूमि अवस्थित है,उक्त खसरा सख्या 85 से 90 मे से तत्समय मे बाड़मेर से जालोर जाने वाले मुख्य हाईवे हेतु भूमि अवाप्ति की गई,और खसरा संख्या 85 के मूल रकबे मे से 7–03 बीधा व खसरा सख्या 90 के मूल रकबे मे से 3–12 बीधा भूमि सड़क हेतु उपयोग लेना बताकर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड मे विप्रार्थी स.1 के खाते मे दर्ज करते हुए तरमीम की गई। जबकि वास्तव मे सड़क का निर्माण खसरा संख्या 85,88,90 मे हुआ है और उक्त अनुसार ही लटठा नक्शा मे तरमीम कायम की जानी चाहिए थी,लेकिन तत्कालीन राजस्वकर्मी की भूल से वास्तविक तरमीम हो छोड़कर लटठा नक्शा मे गलत तरमीम खसरा सख्या 85 व 90 मे कर दी गई। कि नवसृजित ग्राम पंचायत बिलासर को पंचायत भवन हेतु मूल खसरा संख्या 90 से विभक्त होकर खसरा संख्या 90/1 रकबा 2–10 बीधा भूमि आवंटित की गई,लेकिन राजस्व रिकार्ड मे गलत तरमीम

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

होने के कारण ग्राम पंचायत बिलासर को आवंटित भूमि की तरमीम सड़क के पास कर दी गई,जो गलत तरमीम की गई है,जिसके कारण ग्राम पंचायत को आवंटित वास्वविक स्थान पर निर्माण कार्य किये जाने मे रूकावट आ रहा है,और प्रार्थी अनावश्यक परेशान हो रहे है,राजस्व रिकार्ड मे गलत तरमीम किये जाने के कारण विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति मे भिन्नता आ रही है,आगे कथन करतें हुए निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तावित नक्शे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावें।

4 विप्रार्थी स.2 की ओर से पैरोकार सरकार ने तर्क दियें, कि प्रार्थी को आवंटित भूमि एवं सड़क का मौके पर कब्जे के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे तरमीम नही की जाकर उससे भिन्न लटठा नक्शा मे तरमीम की गई है,जो सही नही है,सड़क एवं प्रार्थी को आवंटित भूमि का मौके के अनुसार मौका जांच रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तावित दुरूस्ती नक्शे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावें है,तों विप्रार्थी को कोई आपर्ति नही है।

5.हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड ,दस्तावेंजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि एवं लटठा नक्शा मे ग्राम पंचायत बिलासर की भूमि मे भिन्नता है,ग्राम पंचायत को आवंटित,चिन्हित भूमि एवं लटठा नक्शा मे तरमीम की भिन्नता का मुख्य कारण खसरा सख्या 90 मे सड़क तरमीम एवं मौके पर सड़क निर्माण मे भिन्नता होना है,ग्राम बिलासर के खसरा सख्या 85,88,90 गै.मु.गोचर है,**राजस्व विभाग के अभिलेख मे खसरा संख्या 85,88,90 मे कमशः 7–03 बीधा,00–00 बीधा,3–12 बीधा,भूमि अवाप्त होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम है,जबकि मौके पर सड़क का वास्तविक निर्माण खसरा संख्या 85,88,90 मे कमशः 0–15 बीधा,9–04 बीधा,0–16 बीधा कुल रकबा 10–15 बीधा क्षेत्रफल मे है।** खसरा संख्या 90 मे सड़क तरमीम गलती से मध्य मे करने से ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि की तरमीम सड़क के पास कर दी गई,जो आवंटित भूमि की तरमीम भी गलत है,इस प्रकार सड़क दुरूस्ती से चारागाह भूमि एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम भूमि के कुल क्षेत्रफल मे कोई अन्तर नही होगा,इस प्रकार ग्राम पंचायत बिलासर के नाम भूमि रकबा 2–10 बीधा प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती से ग्राम पंचायत को पूर्व मे चिहिन्त स्थान पर भूमि उपलब्ध होगी एवं पूर्व आवंटित क्षेत्रफल मे कोई अन्तर नही होगा। इस प्रकार प्रस्तावित नक्शा अनुसार सड़क एवं ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

को आवंटित भूमि की तरमीम दुरूस्ती किये जाने की सिफारिश की गई है,एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से प्रमाणित होता है,कि वास्वत मे मौका स्थिति अनुसार जहां पर सड़क चली रही है,लटठा नक्शा मे उक्त अनुसार तरमीम नही होकर उसके भिन्न जाकर तरमीम की गई है और रिकार्ड मे उक्त गलत तरमीम के कारण ही प्रार्थी को आवंटित भूमि की भी रिकार्ड मे गलत तरमीम हुई है,जबकि मौका स्थिति अनुसार वास्तविक चल रहे सड़क के पास ही प्रार्थी को भूमि आवंटन हुई है,एवं पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि के विदयमान लटठा नक्शा एंव प्रस्तावित लटठा नक्शा के अवलोंकन सें ही साबित होता है,कि सड़क एवं ग्राम पंचायत बिलासर को आवंटित भूमि की मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीम नही कर उससें भिन्न तरमीम की गई है,इस प्रकार राजस्वकर्मी की भूल से हुई गलत तरमीम से प्रार्थी को पीड़ा हो रही है,जो प्रार्थी पीड़ा भुगतने का हकदार नही है,इस प्रकार विवादित भूमि की वास्तविक मौका स्थिति अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने का प्रार्थी हकदार एवं अधिकारी है,एवं विप्रार्थी स.1 बावजुद सुचना के हाजिर नही हुए है,और न ही आवेंदन पत्र के सबंध मे अपनी ओर से कोई जबाव पेश किया गया है,इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थी स.1 को प्रार्थी के आवेदन पत्र स्वीकार करने की मौन स्वीकृति है,यदि उनको कोई आपति होती है,तो न्यायालय मे उपस्थित होकर पैरोकारी करते,लेकिन उन द्वारा कोई इस सबंध मे कार्यवाही नही की गई है,एवं विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने से राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति मे एकरूपता होगी।चूंकि प्रार्थी तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित लटठा नक्शा के अनुसार तरमीम करवाने पर सहमत है,और तहसीलदार सिणधरी नें भी तरमीम दुरूस्ती कियें जानें की अभिशषा की है,ऐसी सूरत में तरमीम दुरूस्ती कियें जानें में कोई आपर्ति प्रतीत नही होती हैं।

6. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा–बिलासर तहसील सिणधरी की खसरा स.85,88,90 की भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे निम्नानुसार **वास्वविक मौका स्थिति मुताबिक दर्ज करने एवं लट्ठा नक्शा मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश** पारित किये जाते हैः–

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

क.स.	सड़क तरमीम से पूर्व की स्थिति		वर्तमान रिकार्ड स्थिति		वास्तविक मौका स्थिति अनुसार दुरूस्ती,जो करने है,	
	ख.स.	रकबा	गोचर	सड़क	गोचर	सड़क
	85	30–18	23–15	7–03	30–03	0–15
	88	78–05	78–05	00–00	69–01	9–04
	90	26–01	22–09	3–12	25–05	0–16
योग–	03	135–04	124–09	10–15	124–09	10–15

इसके अतिरिक्त खसरा सख्या 90/1 रकबा 2–10 बीधा का कुल रकबा यथावत रखते हुए लटठा नक्शा मे तरमीम बरंग हरा से दरसाये स्थान की बजाय बरंग पीला से दरसाये स्थान पर दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये जाते है,तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है,तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका रिपोर्ट के सलंग्न प्रेषित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

16/1/12

(नाथूसिह राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 16/1/12 को लिखवाया जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

16/1/12

(नाथूसिह राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner